वर्णनकर्ता: इस वीडियो में शरणार्थी दावा सुनवाई के बारे में उपयोगी जानकारी दी गई है। अधिक जानकारी और अपडेट हमारी वेबसाइट irb.gc.ca पर उपलब्ध है

संगीत: पूरे वीडियो में पीछे संगीत चलता है।

वर्णनकर्ता: अब जबकि आपने शरणार्थी दावा कर दिया है, तो आपके मन में रेफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीज़न या RPD की कुछ प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों के बारे में प्रश्न हो सकते हैं। यह वीडियो आपको फॉर्म और दस्तावेज जमा करते समय या अपनी सुनवाई का समय निर्धारित करते समय आपके कुछ विकल्पों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए उत्तर प्रदान करता है।

जब आपका दावा RPD को भेजा गया था, तो आपको *बेसिज़ ऑफ क्लेम फॉर्म* के साथ *कॉन्फर्मेशन ऑफ रैफरल* पत्र दिया गया होगा। आप अपने शरणार्थी दावे के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए बेसिज़ ऑफ क्लेम फॉर्म का उपयोग करेंगे, जिसमें यह विवरण शामिल होगा कि आप कौन हैं और आप कैनेडा में सुरक्षा क्यों चाहते हैं।

वर्णनकर्ता: यहां कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो आपके मन में आ सकते हैं।

यदि आपको अपना बेसिज़ ऑफ क्लेम फॉर्म RPD को भेजने के लिए कहा गया है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपना दावा RPD को भेजे जाने के दिन से 45 कैलेंडर दिनों के भीतर फॉर्म भेज दें।

यदि आपको नियत तारीख नहीं मिल पा रही है या आप अनिश्चित हैं, तो कृपया RPD से संपर्क करें। हमारी संपर्क जानकारी कैनेडा के इम्मिग्रेशन एंड रेफ्यूजी बोर्ड या IRB की वेबसाइट पर पाई जा सकती है।

वर्णनकर्ता: यदि आप चिंतित हैं कि आप अपना दबेसिज़ ऑफ क्लेम फॉर्म **नियत तिथि तक** जमा नहीं कर पाएंगे, तो आप अतिरिक्त समय की मांग कर सकते हैं। IRB वेबसाइट पर दिए गए फॉर्म का उपयोग करके बताएं कि आपको अधिक समय की आवश्यकता क्यों है तथा दावा फॉर्म को पूरा करने के लिए आपको कितना अतिरिक्त समय चाहिए। RPD केवल विशेष परिस्थितियों में ही अधिक समय प्रदान करेगा।

यदि आपके पास मदद के लिए कोई काउंसल नहीं है या आपके पास फॉर्म ढूंढने के लिए कंप्यूटर तक पहुंच नहीं है, तो आप एक पत्र लिखकर बता सकते हैं कि आपको अधिक समय की आवश्यकता क्यों

है। RPD का एक मैंबर आपके स्पष्टीकरण की समीक्षा करेगा, फिर आपके आवेदन पर निर्णय लेगा। वे आपको अपना निर्णय बता देंगे।
वर्णनकर्ता: यदि आप **नियत तिथि तक** अपना बेसिज़ ऑफ क्लेम फॉर्म भेजने में सक्षम नहीं थे और RPD ने आपको फॉर्म भेजने के लिए और समय नहीं दिया, तो आपको परित्याग (abandonment) पर विशेष सुनवाई में उपस्थित होना होगा। इस सुनवाई में, आपको यह बताना होगा कि आपका बेसिज़ ऑफ क्लेम फॉर्म समय पर क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद RPD यह निर्णय लेगा कि आपका दावा जारी रहेगा या उसे त्याग दिया जाएगा। यदि आपके दावे को त्याग दिया गया घोषित कर दिया जाता है, तो RPD आपकी फाइल बंद कर देगा और आपको कैनेडा में शरणार्थी संरक्षण के लिए दूसरा दावा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
वर्णनकर्ता: यदि आपने अपने बेसिज़ ऑफ क्लेम फॉर्म में कोई गलती की है, या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी शामिल करना भूल गए हैं, तो आप फॉर्म में परिवर्तन कर सकते हैं। आप पहले से प्रस्तुत किए गए बेसिज़ ऑफ क्लेम फॉर्म की एक प्रति का उपयोग कर सकते हैं और उस फॉर्म में परिवर्तन कर सकते हैं। आपने जो जानकारी बदली या जोड़ी है उसे रेखांकित करना सुनिश्चित करें, और जो भी आप हटाना चाहते हैं उसे काट दें। यदि आप इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज रहे हैं, जैसे कि माई केस पोर्टल के माध्यम से, तो आपको अपने अपडेट किए फॉर्म पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, यदि आप इसे डाक, कूरियर या व्यक्तिगत रूप से भेज रहे हैं तो आपको फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होगा। अपडेट किए बेसिज़ ऑफ क्लेम फॉर्म को यथाशीघ्र RPD को भेजें। याद रखें कि सभी दस्तावेजों पर दिनांक अंकित होना आवश्यक है, भले ही वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए गए हों। यह देखने के लिए कि क्या माई केस पोर्टल आपके लिए उपलब्ध है, IRB वेबसाइट पर जाएं। सुनवाई के दौरान, मैंबर आपसे यह पुष्टि करने के लिए कहेंगे कि आपके अपडेट किए बेसिज़ ऑफ

क्लेम फॉर्म की विषय-वस्तु पूर्ण, सत्य और सही है।

आपकी सुनवाई के भाग के रूप में, मैंबर आपसे आपके बेसिज़ ऑफ क्लेम फॉर्म की जानकारी के बारे में भी प्रश्न पूछेंगे।

वर्णनकर्ता: आपको काउंसल नियुक्त करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप अपने शरणार्थी दावा प्रक्रिया में किसी की सहायता ले सकते हैं। यदि आप किसी वकील या इम्मिग्रेशन कंसल्टेंट को अपना काउंसल नियुक्त करने और भुगतान करने का निर्णय लेते हैं, तो उनका लाइसेंसशुदा होना आवश्यक है।

कुछ स्थानों पर, नोटरी पब्लिक या पैरालीगल भी आपका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

जब तक आप किसी लीगल एड एजेंसी से सहायता पाने के पात्र नहीं हैं, तब तक आप अपने काउंसल को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

यदि आप ~~काउंसल~~ के लिए भुगतान नहीं कर सकते हैं, तो अपने प्रांत के लीगल एड कार्यालय से संपर्क करके पता करें कि आपके लिए क्या सहायता उपलब्ध है। आप हमारी वेबसाइट पर लीगल एड कार्यालयों के बारे में जानकारी पा सकते हैं।

यदि लीगल एड संभव न हो तो अपने समुदाय में अन्य सहायता लेने पर विचार करें। इंटरनेट पर “रेफ्यूजी क्लेमेंट स्पोर्ट” खोजें और उस शहर या कस्बे का नाम शामिल करें जहां आप रहते हैं। इससे आपको उन संगठनों की सूची मिल जाएगी जो आपको सहायता या सलाह दे सकते हैं।

वर्णनकर्ता: आपके दस्तावेज़ अंग्रेजी या फ्रेंच में प्रस्तुत किए जाने अनिवार्य हैं।

यदि आपका कोई सहायक दस्तावेज़ किसी अन्य भाषा में लिखा गया है, तो आपको उन दस्तावेज़ों का अंग्रेजी या फ्रेंच में अनुवाद संलग्न करना अनिवार्य होगा।

दस्तावेजों का अनुवाद किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए तथा उसमें ट्रांसलेटर की डेक्लेरेशन शामिल होनी अनिवार्य है, जो पुष्टि करती हो कि उन्होंने आपके लिए दस्तावेजों का अनुवाद किया है।

आप गूगल ट्रांसलेट जैसे सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन अनुवाद टूल का उपयोग नहीं कर सकते।

वर्णनकर्ता: यह महत्वपूर्ण है कि आप कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज यथाशीघ्र या अपनी निर्धारित सुनवाई से *कम से कम* 10 दिन पहले RPD को सब्मिट कर दें।

अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें। यदि आपको सुनवाई से 10 दिन से कम समय पहले साक्ष्य भेजने की आवश्यकता है, तो आपको अनुमति लेनी होगी। अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों में ही दी जाती है। आपको *एप्लिकेशन टू सब्मिट लेट डिस्क्लोज़र (Application to submit late disclosure)* भरना होगा, जिसे आप IRB वेबसाइट पर पा सकते हैं।

आवेदन फॉर्म पर आपको स्पष्ट रूप से यह बताना होगा कि आप सुनवाई से 10 दिन से कम समय पहले अतिरिक्त दस्तावेज क्यों सब्मिट कर रहे हैं। इस आवेदन के बिना सब्मिट किए दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा।

यदि आपके पास मदद के लिए कोई काउंसल नहीं है या आपके पास आवेदन पत्र ढूंढने के लिए कंप्यूटर तक पहुंच नहीं है, तो आप RPD को एक पत्र लिखकर बता सकते हैं कि आप सुनवाई से 10 दिन से कम समय पहले अतिरिक्त दस्तावेज क्यों सब्मिट कर रहे हैं। RPD का एक मैंबर आपके स्पष्टीकरण की समीक्षा करेगा, फिर आपके आवेदन पर निर्णय लेगा।

RPD आपको अपना निर्णय बताएगा।

वर्णनकर्ता: शरणार्थी दावेदार बच्चों को आपकी सुनवाई में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि सुनवाई की तिथि पर उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक न हो, या RPD उन्हें वहां उपस्थित होने के लिए न कहे।

सुनवाई की तिथि को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, यदि चाहें तो सुनवाई में भाग ले सकते हैं। बड़े बच्चे कभी-कभी गवाही देकर या उपस्थित होकर योगदान देना चाहते हैं। यदि आपके पास कोई काउंसल है तो इस बारे में उससे या आपके नामित प्रतिनिधि से चर्चा की जानी चाहिए।

नामित प्रतिनिधि वह व्यक्ति होता है जो RPD के समक्ष उपस्थित होने वाले ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो स्वयं का प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ है क्योंकि उसकी आयु 18 वर्ष से कम है या वह कार्यवाही की प्रकृति को समझने में असमर्थ है। RPD द्वारा एक नामित प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है।

वर्णनकर्ता: यदि आप अपनी सुनवाई में उपस्थित होने के लिए उपलब्ध नहीं हैं या आप अपनी सुनवाई के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप IRB वेबसाइट पर फॉर्म का उपयोग करके तारीख और समय बदलने के

लिए आवेदन कर सकते हैं। RPD केवल विशेष परिस्थितियों में ही सुनवाई की तिथि और समय बदलने के अनुरोध को स्वीकार करेगा। अपने आवेदन पत्र पर आपको यह स्पष्ट करना होगा कि आप अपनी सुनवाई की तारीख या समय क्यों बदलना चाहते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपना आवेदन यथाशीघ्र प्रस्तुत करें तथा सुनवाई से तीन कार्यदिवस पहले प्रस्तुत करें, जब तक कि आपका अनुरोध किसी चिकित्सा कारण या अन्य आपातस्थिति के कारण न हो। यदि आपके पास मदद के लिए कोई काउंसल नहीं है या आपके पास आवेदन पत्र ढूंढने के लिए कंप्यूटर तक पहुंच नहीं है, तो आप RPD को एक पत्र लिखकर बता सकते हैं कि आपको अपनी सुनवाई की तारीख या समय बदलने की आवश्यकता क्यों है। RPD का एक मैंबर आपके स्पष्टीकरण की समीक्षा करेगा, फिर आपके आवेदन पर निर्णय लेगा। RPD आपको अपना निर्णय बताएगा। यदि RPD आपके आवेदन को अस्वीकार कर देता है, तो आपको अपनी सुनवाई की तिथि और समय पर आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना होगा। यदि आपको कोई जवाब नहीं मिलता है, तो आपको अपनी सुनवाई में उपस्थित होना होगा और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना होगा। इसके बाद सदस्य आपके आवेदन पर निर्णय लेंगे।
वर्णनकर्ता: हम सदैव शरणार्थी दावा प्रक्रियाओं को दावेदारों के लिए अधिक कुशल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नवीनतम जानकारी प्राप्त करने या हमसे कोई प्रश्न पूछने के लिए, आप हमेशा हमारे किसी क्षेत्रीय कार्यालय को कॉल कर सकते हैं या लिख सकते हैं। याद रखें कि हम आपके विशिष्ट शरणार्थी दावे के बारे में सलाह नहीं दे सकते, लेकिन हम विभिन्न प्रक्रियाओं और कार्यविधियों को समझाने में आपकी सहायता कर सकते हैं तथा आपको IRB वेबसाइट

पर उपलब्ध प्रासंगिक संसाधनों की ओर निर्देशित कर सकते हैं।
वर्णनकर्ता: शरणार्थी दावा प्रक्रिया की अप टू डेट जानकारी के लिए, IRB की वेबसाइट पर जाएं या सामान्य पूछताछ के लिए हमारे टोल फ्री नंबर 1-833-931-5121 पर कॉल करें।
वर्णनकर्ता: आप स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमारे *कॉन्टैक्ट अस* पेज पर भी जा सकते हैं, जहां आपको यह जानकारी मिलेगी कि दस्तावेज कहां जमा करें और यदि आपके कोई प्रश्न हों तो हमसे कैसे संपर्क करें।